न्यायालय सहायक कले० (फास्ट ट्रेक) निवाई टोंक।
पीठासीन अधिकारी, नीलम मीणा, R.A.S

वाद सं. - 130/2012
निर्णय दिनांक - 6/4/2022

उनवान

1. मोरपाल पुत्र कालू जाति गुर्जर उम्र 60 साल पेशा काश्त निवासी करीरिया तह० निवाई जिला टोंक।

-वादी

बनाम

1. कजोड़ पुत्र
2. कजोड़ी पुत्री
3. गट्टूली पुत्री
4. फुला पत्नी - (फोत)

} पि० हरनाथ जाति गुर्जर निवासी करीरिया तह० निवाई जिला - टोंक (राज०)

5. मदनलाल पुत्र
6. राजाराम पुत्र
7. भरतराज पुत्र
8. धोली पुत्री
9. सुगना पत्नी - (फोत)

} पि० किशनलाल जाति गुर्जर निवासी करीरिया तह० निवाई जिला टोंक।

10. तहसीलदार निवाई।

- प्रतिवादीगण

-दावा बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा।

- उपस्थित - 1. श्री आर० पी० जैन, अधिवक्ता वादी।
2. एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

सहायक कलेक्टर
(फास्ट-ट्रेक) निवाई

निर्णय

- पत्रावली श्री मान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील

अधिकारी टोंक के निर्णय दि० 26.12.2016 के अनुसार प्रति प्रेषित होकर प्राप्त हुई। जिसमें निर्देश दिए गए हैं, कि (पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात के आधार पर विवाधक कायम करे तथा उभय पक्ष को मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात उभय पक्ष की बहस सुनकर निर्णय पारित करें।

- श्रीमान के निर्देशों की पालना में न्यायलय स्तर से प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए।

पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें वाद द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार है- आराजी खाता स० 304, 305, 306, 34, 302, 188 वाके ग्राम करीरिया तह० निवाई में स्थित है। वादी के पिता कालूराम का स्वर्गवास वादी के बाल्यकाल में ही हो गया था। जब वादी 5-6 वर्ष का था। इस कारण पक्षकारान के पूर्वजो के समय की भूमि खाता सं० 305 ख०नं० 623 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा का 1/2 भाग तथा खाता संख्या 306 ख० नं० 627 रकबा 15 बिस्वा ख० नं० 629 रकबा 7 बिस्वा ख० नं० 632 रकबा। बीघा कुल किता 5 कुल रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा उक्त भूमि केवल वादी के बड़े भाई हरनाथ व किशनलाल के नाम ही रिकार्ड में दर्ज है। इसी प्रकार खाता सं० 304 की भूमि वादी के बड़े भाई हरनाथ पि० मु० बीरमा के नाम दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार संयुक्त परिवार में रहते हुए आवंटित करवाई गई खाता सं० 34 की भूमि वादी के बड़े भाई किशनलाल एवं खाता सं० 302 की भूमि वादी के बड़े भाई हरनाथ के नाम दर्ज है। इस प्रकार सम्पूर्ण भूमि पर 1/3, 1/3 भाग का विभाजन होकर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्तकार हैं।

सहायक कलेक्टर
(फास्ट-ट्रेक) निवाई

Scanned with OKEN Scanner

जो आज भी बदस्तूर जारी है। परन्तु केवल खाता सं. 188 में दर्ज भूमि में वादी का नाम रिकार्ड में दर्ज है। शेष नम्बरान में वादी का नाम दर्ज नहीं होने से वादी को उक्त घोषणा का वाद प्रस्तुत करना पड़ा। अतः वादी सम्पूर्ण पैतृक भूमि व आवंटित करवाई गई भूमि कुल रकबा 56 बीघा 15 बिस्वा में वादी के 1/3 हिस्से का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवाने का अधिकारी है। जिसका वादी को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे एवं वादी के कब्जे कास्त में बाधा मजाहमत नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

- प्रतिवादीगण को जरिए अदालती नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 व 5 ता 8 बाद तामिल गैर हाजिर रहे। उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं. 4 व 9 फोत हुए जिनके वारिसान पूर्व से ही रिकार्ड पर थे। पत्रावली में प्रतिवादी पूर्व की तरह बाद तामील अनुपस्थित रहने के कारण उनके द्वारा जवाब दावा पेश नहीं किया गया। जिस कारण वाद में विवाधक कायम नहीं किए जा सके।

- वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि पूर्व में पेश साक्ष्यों को ही स्वीकार किया जावें। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर। बहस वकील वादी सुनी गई।

- पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया, बहस पर मनन किया। वादी का कथन है, कि खाता सं. 304, 305 उनकी पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें प्रतिवादी सं. 1,

सहायक कलेक्टर
(फास्ट-ट्रेक) निवाई

Scanned with OKEN Scanner

2 का नाम अंकित कर दिया गया तथा स्वयं का नाम अंकित नहीं किया गया है। परन्तु पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा इन खातों की भूमि के पैतृक होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। खाता सं० 34 की भूमि किशन लाल पुत्र कालू के नाम दर्ज है तथा खाता सं० 302 हरनाथ पिता कालू के नाम दर्ज है। इनके सम्बन्ध में वादी का कथन है, कि उक्त भूमियाँ आवंटन शुदा भूमियाँ है।

न्यायालय का यह मत है, कि आवंटित भूमि आवंटिति की स्व अर्जित भूमि होती है। अतः इन खाता नम्बरान की भूमि के सम्बन्ध में वादी कोई रिलीफ प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

खाता सं० 304 की भूमि हरनाथ पि० मृ० चौस्या के नाम दर्ज भूमि है। वाद पत्र के साथ घासी पुत्र नारायण द्वारा लिखित एक इकरारनामा पत्रावली के साथ संलग्न किया गया है। परन्तु इसमें कोई खसरा नं० अंकित नहीं है। अतः यह स्पष्ट नहीं है, कि यह किस भूमि के सम्बन्ध में लिखा गया है। इसी प्रकार एक अन्य राजीनामा दि० 18/10/94 का हरनाथ, किशनलाल व मोरपाल द्वारा लिखित पेश किया गया है। जिसमें पूर्वजों की व मलॉट शुदा जमीनों में तीनों भाईयों का बराबर हिस्सा होने का कथन किया गया है। परन्तु इसकी ताईद में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः इन दोनों लिखावटों को खसरा नं. के उल्लेख के अभाव तथा दस्तावेजी साक्ष्यों से अपुष्ट होने के कारण

सहायक कलेक्टर
(फास्ट-ट्रेक) निवाई

Scanned with OKEN Scanner

स्वीकार करना न्यायालय उचित नहीं समझता है।

- उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम हो।

- निर्णय आज दि. 6-4-2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/4/22
डॉ. नीलम मीणा RAS
सहायक कलेक्टर
(फास्ट-ट्रेक) निवाई

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

(डॉ. नीलम मीणा, आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई द्वारा अध्यासित)

(डिकी मुकदमा इब्तदाई)

दावा संख्या:– 130 / 2012

निर्णय दिनांक:–06.04.2022

उनवान

मोरपाल बनाम कजोड वगै0

दावा बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू डॉ. नीलम मीणा व हाजरी श्री आर.पी.जैन वकील वादी मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि आवंटित भूमि आवंटिति की स्वअर्जित भूमि होती है इन खसरा नम्बर की भूमि के सम्बध में वादी कोई रिलिफ प्राप्त करने का हकदार नही है खाता संख्या 304 की भूमि हरनाथ पि.मु. घीस्या के नाम दर्ज है वाद पत्र के साथ घासी पुत्र नारायण द्वारा लिखित इकरारनामा में कोई खसरा नम्बर अंकित नही होने से किस भूमि के सम्बध में लिखा गया है अन्य राजीनामा दिनांक 18.10.94 का हरनाथ किशनलाल व मोरपाल द्वारा पेश जिमसे पूर्वजो की व अलॉट शुदा जमीनो में तीनों भाईयों का बराबर हिस्सा होने को कथन किया गया है परन्तु कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया गया अतः इन दोनो लिखावटों को खसरा नं. के उल्लेख के अभाव तथा दस्तावेजी साक्ष्यो के अपुष्ट होने के कारण वादी का वाद खारिज किया जाता है

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06 माह 04 सन् 2022 को जारी की गई।

6/4/22

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक), निवाई

Scanned with OKEN Scanner